

प्रधान महालेखाकार (ले०&ए०) का  
कार्यालय  
बीरचंद पटेल पथ,  
पटना, बिहार - 800001



OFFICE OF THE PRINCIPAL  
ACCOUNTANT GENERAL (A&E),  
BIRCHAND PATEL PATH  
PATNA, BIHAR - 800001

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA  
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

No.- WM-II/Extn/2025-26/ 86  
Date: -20/02/2026

### कार्यालय आदेश

निर्देशानुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, नीचे तालिका में सम्मिलित किये गये प्रमंडलीय लेखाकार (प्रशिक्षु) के आलोक में परिवीक्षा अवधि की समाप्ति की तिथि से अगले एक वर्ष तक को विस्तारित करने का आदेश दिया गया है।

:- तालिका:-

Sl. No.	प्र० लेखाकारों के नाम	पदनाम	योगदान की तिथि	परिवीक्षा अवधि विस्तार की तिथि
1	श्री अश्विनी कुमार	प्रमंडलीय लेखाकार (प्रशिक्षु)	06.10.2023	05.10.2026
2	श्री रवि कुमार	प्रमंडलीय लेखाकार (प्रशिक्षु)	09.10.2023	08.10.2026
3	श्री नमन प्रियदर्शी	प्रमंडलीय लेखाकार (प्रशिक्षु)	09.10.2023	08.10.2026
4	श्री सुदीप कुमार	प्रमंडलीय लेखाकार (प्रशिक्षु)	09.10.2023	08.10.2026
5	श्री चन्द्र प्रकाश मीणा	प्रमंडलीय लेखाकार (प्रशिक्षु)	11.10.2023	10.10.2026
6	श्री बनवारी लाल मीणा	प्रमंडलीय लेखाकार (प्रशिक्षु)	12.10.2023	11.10.2026
7	श्री अजय मौर्या	प्रमंडलीय लेखाकार (प्रशिक्षु)	13.10.2023	12.10.2026
8	श्री मनीष कुमार	प्रमंडलीय लेखाकार (प्रशिक्षु)	17.10.2023	16.10.2026
9	श्री अविनाश राज	प्रमंडलीय लेखाकार (प्रशिक्षु)	17.10.2023	16.10.2026
10	श्री दीपक कुमार	प्रमंडलीय लेखाकार (प्रशिक्षु)	20.10.2023	19.10.2026
11	श्री रोशन कुमार सिंह	प्रमंडलीय लेखाकार (प्रशिक्षु)	30.10.2023	29.10.2026
12	श्री सुमित कुमार	प्रमंडलीय लेखाकार (प्रशिक्षु)	30.10.2023	29.10.2026
13	श्री दीपक कुमार	प्रमंडलीय लेखाकार (प्रशिक्षु)	16.11.2023	15.11.2026
14	श्री दिपु कुमार सिंह	प्रमंडलीय लेखाकार (प्रशिक्षु)	21.11.2023	20.11.2026
15	श्री अमित कुमार	प्रमंडलीय लेखाकार (प्रशिक्षु)	23.11.2023	22.11.2026
16	श्री राहुल कुमार	प्रमंडलीय लेखाकार (प्रशिक्षु)	22.12.2023	21.12.2026

17	श्री भानु कुमार	प्रमंडलीय लेखाकार (प्रशिक्षु)	29.12.2023	28.12.2026
----	-----------------	-------------------------------	------------	------------


भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की नियम पुस्तिका (प्रशासकीय) खंड-1 की कंडिका 7.5 के अनुसार, "प्रमंडलीय लेखाकारों के संवर्ग में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, दो (02) वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा" साथ ही Rule 1(viii) of Swamy's Establishment and Administration के आधार पर एक वर्ष के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

ज्ञातव्य हो कि किसी भी प्रमंडलीय लेखाकारों कि परिवीक्षा अवधि को दुगुनी अवधि, यानि कुल परिवीक्षा अवधि को चार (04) वर्षों से आगे परिवीक्षाधीन नहीं रखा जा सकता है।

Digitally signed by  
उप महालेखाकार (कार्य)  
DEVEN RAJ PRATAAP SRIVASTAVA  
Date: 19-02-2026 17:29:56  
बिहार, पटना

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०), सचिवालय,
2. उप महालेखाकार (कार्य),
3. WM-III (स्थानीय),
4. ITS-कार्यालय के Website पर अपलोड करने हेतु।

  
वरीय लेखा अधिकारी  
बिहार, पटना